

SHRI RAMAVATAR SHASTRI (Patna) : No. They are again given a chance. Don't say like that.

MR. DEPUTY-SPEAKER : It is left to you. You decide about it in the Business Advisory Committee.

(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER : What I say is, suppose, the Members are not present when their statement under Rule 377 is there and they are called, their party will lose the chance. If they are absent, their party will lose the chance. So, nobody should be absent. I would only suggest...

(Interruptions)

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : Do not say like that.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I am only telling that nobody should be absent when the names are listed. Because this chance is lost to their Party if they do not Come here.

(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER : These copies should be given to such of those Members as are present, and if they are not here to receive them, their names should not be listed here.

AN HON. MEMBER : It is a very good suggestion.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri Mani Ram Bagri.

You work out a procedure. No procedure is final. Now, Shri Mani Ram Bagri.

(iii) Tension in Varanasi on Supreme Court's Judgement relating to shifting of two graves.

श्री मनी राम बागड़ी (हिमर) : उपाध्यक्ष महोदय, मौहल्ला दोषीपुरा, जिला वाराणसी

शहर के अन्तर्गत कब्रगाह के मामले को लेकर शिया और सुन्नी, मुसलमानों में तनाव व्याप्त है। कई बटालियन पी.ए.सी. वहां पर अभी भी झगडा होने के आदेशों से तैनात हैं। यह परिस्थिति सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से उत्पन्न हुई है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि दस हफ्ते के अन्दर दो मजारों को खोद कर दूसरी जगह रख दिया जाए मुसलमानों का सुन्नी तबका कब्रों को खोदने का सख्त विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि जमीन शिया की है, मगर मजार हमारी है। उनका कहना है कि सरकार मजार को खुदवाए नहीं, स्कि कोई ऐसी व्यवस्था करे, जिससे हम जोग परम्परागत रूप से कब्र पर चढ़ तथा इबादत वगैरह करते रहे। मगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार 12 अप्रैल 1984 के पूर्व ही उसको हटा कर दूसरी जगह रखना लाजिमी है। शिया और सुन्नी साम्प्रदाय के लोग आपसी झगडा नहीं चाहते।

अधिकारियों का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हमें मानना ही पड़ेगा। यह मामला लगभग 134 वर्ष पुराना है। ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि वह राष्ट्रपति से निवेदन करे कि वह सर्वोच्च न्यायालय के सभी माननीय न्यायाधीशों की एक बेंच को इस कब्रगाह के मामले पर पुनर्विचार करने के लिए कहे, जिससे इस लोक महत्व के तात्कालिन महत्वपूर्ण प्रश्न पर पूरा विचार हो सके और भविष्य में होने वाला दंगा-फसाद रुक जाये।

(iv) Failure of the management of Bharat Carpet Ltd. to pay four month's salary to their employees and to deposit provident fund amount collected from employees with the Provident Fund Commissioner.

श्री रशोब मसूब (सहारनपुर) : मौहतरम, भारत कार्पेट लिमिटेड के मुलाजमीन, जिनकी

तादाब तकरीबन 400 के करीब हैं, पिछले कई महीने से अपनी जायज मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन मुलाजमीन को पिछले चार पाँच महीने से तनख्वाह नहीं दी गई है। यही नहीं, बल्कि मिल-मालिक प्राविडेंट फंड के मामले में भी बहुत गैर-कानूनी हरकत कर रहे हैं। इन मुलाजमीन से प्राविडेंट फंड वाकायदा तौर पर वसूल किया जाता है जो इनकी तनख्वाह में से हर महीने कट जाता है। लेकिन मिल मालिकों का जो हिस्सा प्राविडेंट फंड में जमा होना चाहिए, मिल-मालिक उसको जमा नहीं कर पा रहे हैं। जुलाई, 1980 से लेकर आज तक प्राविडेंट फंड कमिश्नर के यहां एक पैसा जमा नहीं किया गया है। चूंकि मामला मजदूर की रोबी रोटी और प्राविडेंट फंड का है, इसलिए मेरी सरकार से दरखास्त है कि वह भारत कापेंट लिमिटेड, फरीदाबाद को फौरन हिदायत करे कि वह मजदूरों की शिकायत को दूर करके उनके प्राविडेंट फंड का रुपया फौरन प्राविडेंट फंड कमिश्नर के यहां जमा कर दें और चार महीने की तनख्वाह मजदूरों को फौरन दें।

(v) Need for steps for lifting lock-out in Samachar Bharti and need for probe in to its working.

श्री राम बिलास पासवान (हार्जीपुर) : हिन्दी संवाद समिति 'समाचार भारती' की दयनीय स्थिति की ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के परामर्श से गठित इस संस्था के अध्यक्ष पद पर स्वतन्त्रता सेनानी श्री प्रकाश और श्री जयप्रकाश नारायण जैसे व्यक्ति रह चुके हैं।

केन्द्र और राज्य सरकारों से भरपूर आर्थिक सहायता के बावजूद खराब प्रबन्ध के कारण यह संस्था सही ढंग से नहीं चल सकी। 1978 में समाचार संवाद समिति के विघटन के बाद एक बार फिर केन्द्र सरकार ने इसे भारी अनुदान दिया और हर साल लाखों रुपए विभिन्न मदों में देती रही। इसके बावजूद आज स्थिति यह है कि इसके शाखा कार्यालयों के कर्मचारियों को एक वर्ष से वेतन नहीं मिला है। दिल्ली में तीन माह का वेतन बकाया हो गया है। डाक तार विभाग और भविष्य निधि की लाखों रुपए की देनदारी है। भविष्य निधि के नाम पर काटा गया कर्मचारियों का पैसा जमा नहीं कराया गया है। अनेक कर्मचारियों के भविष्य निधि के पैसे काटे गए लेकिन उनका खाता तक नहीं खोला गया। अनेक शिकायतों के बावजूद सरकार ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की है।

प्रबन्धकों ने करीब आधा दर्जन सरकारी बैंकों से ओवर ड्राफ्ट ले रखा है जिसके लिए डाक तार विभाग से किराये पर लिए गए टेलीप्रिन्टर्स को गिरवी रखा गया है जो पूरी तरह गैरकानूनी है। प्रबन्धकों ने कम्पनी कानून का भी उल्लंघन किया है। पिछले पाँच साल से हिसाब आडिट नहीं कराया गया

شری رشید مسعود (سہارن پور) : مسترحم بھارت کارپٹس
 لمیٹڈ (Bharat Carpets Ltd) کے ملد زمین میں کمی تھی
 تقریباً 400 کے قریب تھے پچھلے کئی مہینوں سے اپنی جائیداد مانگنے
 کے لئے سنگھڑ کر رہے ہیں۔ ان ملد زمین کو چھین لیا گیا ہے۔
 Provident Fund کے بارے میں بھی میں نے عرض کیا ہے کہ ان ملد زمین میں سے
 پروویڈنٹ فنڈ کاغذوں کی صورت میں لیا جاتا ہے۔ جو ان کی تنخواہ
 میں سے پرصیٹھ کٹ جاتا ہے۔ لیکن ان کا کوئی بھی حصہ پروویڈنٹ فنڈ
 میں جمع ہونا چاہیے۔ لیکن اس کو جمع نہیں کیا گیا ہے۔ جو ان کی تنخواہ
 میں سے لے کر ان کے Provident Fund Commissioner کے پاس
 آئے ہیں۔ یہاں جمع نہیں کیا گیا ہے۔ کوئی کوئی ملد زمین ملد زمین
 کے پروویڈنٹ فنڈ کاغذوں کو اس کے لئے مری کر کے اس کے خلاف کوئی قدم
 نہیں لیا گیا۔ بلکہ ان کے ملد زمین کے پروویڈنٹ فنڈ کاغذوں کو
 Provident Fund Commissioner کے پاس جمع نہیں کیا گیا ہے۔
 ان کے لئے کوئی کوئی ملد زمین کو فوراً دیں۔